[2019] 9 एससीआर 585

भारत संघ और अन्य

बनाम

सीताराम मिश्रा और अन्य

(2010 की सिविल अपील संख्या 6183)

11 जुलाई, 2019

[न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी]

सेवा कानून:

सीआरपीएफ अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत सीआरपीएफ नियमों के साथ - अनुशासनात्मक जांच करने के बाद - बल के सदस्य के रूप में उसे सौंपे गए हथियार को लापरवाही से संभालने के लिए अपराधी को कदाचार का दोषी ठहराना, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई - आईपीसी की धारा 304 के तहत आपराधिक मामले में अपराधी को बरी कर दिया गया - सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई - उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश को रद्द कर दिया। एकल न्यायाधीश ने कहा कि कदाचार का आरोप स्थापित नहीं हुआ था - सुप्रीम कोर्ट में अपील - माना: जांच में कोई अनियमितता नहीं थी - न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में उच्च न्यायालय सबूतों की सराहना करने और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलत था - आपराधिक मामले में अपराधी को बरी करना अनुशासनात्मक कार्यवाही में कदाचार के निष्कर्ष को खराब करने के आधार के रूप में कार्य नहीं कर सकता है - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 – धारा 11 (1) – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 – नियम 27 (ए)।

विभागीय जांच - सबूत का मानक - आपराधिक मुकदमे की तुलना में - अनुशासनात्मक जांच सबूत के एक अलग मानक द्वारा शासित होती है जो एक आपराधिक मामले पर लागू होती है - आपराधिक परीक्षण - साक्ष्य - सबूत का मानक।

प्रशासनिक कानून:

न्यायिक समीक्षा - अनुशासनात्मक मामलों में - कार्यक्षेत्र - आयोजित किया गया: अनुशासनात्मक जांच में कदाचार के निष्कर्ष पर निर्णय लेते समय, न्यायालय साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं कर सकता है - इस तरह के निष्कर्ष में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जहां निष्कर्ष बिना किसी सबूत पर आधारित हो।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1.1 अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर कदाचार का आरोप टिकाऊ था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मुख्य रूप से पीडब्ल्यू 5 और पीडब्ल्यू 6 के बयानों के आधार पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया कि 9 एमएम कार्बाइन को अलग कर

दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक जांच के दौरान जोड़े गए सबूतों की सराहना करने में स्पष्ट रूप से गलती की। अनुशासनात्मक जांच में कदाचार के निष्कर्ष के खिलाफ न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में मुद्दा यह है कि क्या रिकॉर्ड पर कुछ सबूतों के संदर्भ में निष्कर्ष टिकाऊ है। उच्च न्यायालय केवल ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है जहां निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित हो। ऐसी स्थिति में, खोज विकृत हो जाती है। [पैरा 9] [590-ई-जी]

1.2 वर्तमान मामले में, डिवीजन बेंच का विवादित निर्णय उन परिस्थितियों के पहले प्रतिवादी के बयान को संदर्भित करता है जिसमें उसके सहयोगी की मृत्यु हुई थी। पहले प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति का हिस्सा स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह पहले प्रतिवादी द्वारा हथियार को संभालने के परिणामस्वरूप था कि गोलियां चलाई गईं और परिणामस्वरूप उसके सहयोगी की मृत्यु हो गई। कोई भी भौतिक तथ्य विवाद में नहीं है। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की, खासकर जब एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले के दौरान जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई थी। बर्खास्तगी की सजा साबित हुए कदाचार से असंगत नहीं है। [पैरा 9, 10 और 11] [590-जी; 591-ए-बी]

2.1 एक अनुशासनात्मक जांच एक आपराधिक मामले पर लागू होने वाले सबूत की तुलना में सबूत के एक अलग मानक द्वारा शासित होती है। एक आपराधिक मुकदमे में, उचित संदेह से परे आरोप स्थापित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है। अनुशासनात्मक जांच का उद्देश्य नियोक्ता को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाना है कि क्या किसी कर्मचारी ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। [पैरा 12] [591-सी-डी]

2.2 वर्तमान मामले में, एकल न्यायाधीश ने परिपत्र आदेश संख्या 16/85 का हवाला दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीआरपीएफ के सदस्यों पर सख्त अग्नि अनुशासन लागू करने और चूककर्ताओं के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का दायित्व लगाया गया है। तथ्य यह है कि आपराधिक मुकदमे के दौरान पहले प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था, यह वास्तव में अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान सामने आए कदाचार के निष्कर्ष को खराब करने के आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है। आपराधिक मुकदमे में आरोप घटना के दौरान एक सह-कर्मचारी की मौत से उत्पन्न हुआ, जो उस हथियार से गोली चलने के परिणामस्वरूप हुआ था जिसे बल के सदस्य के रूप में पहले प्रतिवादी को सौंपा गया था। लेकिन कदाचार का आरोप अपने हथियार को संभालने में पहले प्रतिवादी की लापरवाही और हथियार को संभालने के तरीके के संबंध में विभागीय निर्देशों का पालन करने में उसकी विफलता के आधार पर है। नतीजतन, आपराधिक मामले में बरी किया जाना अनुशासनात्मक जांच के दौरान लगाए गए जुर्माने को रद्द करने का आधार नहीं था। इसलिए, अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा के अभ्यास को नियंत्रित करने वाले मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय अस्थिर है। [पैरा 12 और 13] [591-डी, एफ; 592-बी-सी]

कैप्शन एम पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (1999) 3 एससीसी 679: [1999] 2 एससीआर 257 - लागू नहीं हुआ।

केस कानून संदर्भ

[1999] 2 एससीआर 257 में पैरा 12 को लागू नहीं माना गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की सिविल अपील संख्या 6183।

2007 के एफएमए संख्या 717 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.2007 के निर्णय और आदेश से।

एस. एस. रे, सुश्री स्निधा मेहरा, चकितन विक्रम शेखर पाप्टा, सुश्री तनीषा सामंत, बी. वी. बलरामदास, अपीलकर्ताओं के वकील।

प्रतिवादियों के वकील पीके जैन, सौरभ जैन, पीके गोस्वामी, रामेश्वर प्रसाद गोयल।

कोर्ट का फैसला न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सुनाया।

1. पहले प्रतिवादी को 20 सितंबर 1971 को सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था। उन्हें सितंबर 1989 में 41 * बटालियन में तैनात किया गया था। फरवरी 1998 में, वह हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहे थे और उन्हें रैक्टियाचेरा, पुलिस स्टेशन जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा में तैनात किया गया था। उसे कार्बाइन जारी की गई थी। आरोप है कि, 18 फरवरी 1998 को लगभग 0945 बजे, जब वह बैरक में अपनी भरी हुई 9 मिमी कार्बाइन के बैरल को साफ कर रहे थे, तो उन्होंने पत्रिका को नहीं हटाया और लापरवाही से कार्बाइन को साफ करने के लिए आगे बढ़े। नतीजतन, आठ राउंड फायरिंग की गई। इनमें से एक गोली बैरक में मौजूद एक सह-कांस्टेबल को लगी। चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कमांडेंट ने पहले प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। आरोप निम्नलिखित शब्दों में था:

याचिका में कहा गया है, 'हेड कांस्टेबल नंबर 710170325 सीता राम मिश्रा ने सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के तहत बल के सदस्य के रूप में हेड कांस्टेबल (जीडी) के रूप में सेवा करते हुए सीआरपीएफ नियम, 1955 के नियम 27 (ए) के तहत दंडनीय कार्रवाई की और 18.02.1998 को सुबह 9.45 बजे 9 बजकर 45 मिनट पर 9 एमएम कार्बाइन की सफाई शुरू कर दी। बट नंबर 13) बी/41 बटालियन सीआरपीएफ के पुरुष बैरक में, लापरवाही से अपने बिस्तर पर अपनी पत्रिका हटाए बिना। इस प्रक्रिया में 08 राउंड स्वत: ही चल गई और इनमें से एक गोली वहां बैरक में मौजूद 901310271 नंबर के शैलेश कुमार तिवारी को लगी। 901310271 सीटी शैलेश कुमार तिवारी ने बाद में उसी दिन लगभग 1020 बजे सिविल अस्पताल, जिरानिया, अगरतला में दम तोड़ दिया।

2. अनुशासनात्मक जांच करने के बाद, जांच अधिकारी ने 12 मार्च 1999 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहले प्रतिवादी को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा कदाचार का दोषी पाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीआरपीएफ अधिनियम 1949 की धारा 11 (1) के साथ सीआरपीएफ नियम 1955 के नियम 27 (ए) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाया गया था। अपील के साथ-साथ पहले प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था।

3. पहले प्रतिवादी पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 के तहत अपराध का मुकदमा भी चलाया गया था। उन्हें 5 जनवरी 2002 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम द्वारा बरी कर दिया गया था।

4. सेवा से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि, एक रिट अपील में, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में इस आधार पर हस्तक्षेप किया कि कदाचार का आरोप स्थापित नहीं किया गया था। चूंकि पहला प्रतिवादी इस बीच, सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, इसलिए डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि उसे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में माना जाए और निलंबन की अवधि के दौरान भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते को समायोजित करने के बाद पूर्ण मजदूरी का भुगतान किया जाए।

5. उच्च न्यायालय ने रिट अपील में अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा कहा कि: (i) अनुशासनात्मक जांच के दौरान पीडब्ल्यू 5 और पीडब्ल्यू 6 की गवाही से कदाचार का आरोप इस आशय का झूठा साबित हुआ कि कार्बाइन को साफ करते समय अलग किया गया था; (ii) कदाचार के निष्कर्ष के समर्थन में कोई सबूत नहीं था; (iii) विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ आपराधिक मामला भी समान और समान था; और (iv) आपराधिक मामले से पहले प्रतिवादी के बरी होने के बाद विभागीय कार्यवाही टिकाऊ नहीं थी।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज करने में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की है, विशेष रूप से वर्तमान जैसे मामले में, जहां अनुशासनात्मक जांच में जोड़े गए सबूतों के आधार पर कदाचार का आरोप विधिवत साबित हुआ था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि तथ्य विवाद में नहीं हैं, अर्थात्, पहले प्रतिवादी के पास एक कार्बाइन थी जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए सौंपी गई थी; वह पुरुषों की बैरक में था; और कार्बाइन को पहले प्रतिवादी द्वारा संभाला जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप एक गोली उसके सहयोगी को लगी, जिसकी चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। इन तथ्यों पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि लापरवाही का एक मामला स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था जिसके लिए सेवा से बर्खास्तगी की आवश्यकता थी। आपराधिक गलत काम के आरोप को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाही संभावना की प्रधानता से नियंत्रित होती है। इन आधारों पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि हेड कांस्टेबल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने में त्रुटि कर रहा था।

7. दूसरी ओर, पहले प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने आईपीसी की धारा 304 के तहत पहले प्रतिवादी को आरोप से बरी करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले पर भरोसा किया है। यह आग्रह किया गया था कि बरी करने के फैसले के आधार पर, यह स्पष्ट है कि मामले में कोई आधार नहीं है कि पहला प्रतिवादी एक तेज और लापरवाह कृत्य का दोषी था। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया था कि पहला प्रतिवादी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और उसकी पेंशन बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

8. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से, कुछ तथ्य विवाद में नहीं हैं, वे हैं:

(i) पहले प्रतिवादी के पास एक हथियार था जो उसे संबंधित समय पर 41 बटालियन में तैनात सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में जारी किया गया था;

(ii) सह-कर्मचारी की मृत्यु पहले प्रतिवादी द्वारा हथियार को संभालने के दौरान हुई; और

(iii) पहला प्रतिवादी और पीड़ित दोनों 41* बटालियन के पुरुषों की बैरक में थे।

9. अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर कदाचार का आरोप टिकाऊ था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मुख्य रूप से पीडब्ल्यू 5 और पीडब्ल्यू 6 के बयानों के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया कि 9 एमएम कार्बाइन को अलग कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक जांच के दौरान जोड़े गए सबूतों की सराहना करने में स्पष्ट रूप से गलती की। अनुशासनात्मक जांच में कदाचार के निष्कर्ष के खिलाफ न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में मुद्दा यह है कि क्या रिकॉर्ड पर कुछ सबूतों के संदर्भ में यह निष्कर्ष टिकाऊ है। उच्च न्यायालय, यह अच्छी तरह से तय है, केवल उस स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है जहां निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है। ऐसी स्थिति में, खोज विकृत हो जाती है। वर्तमान मामले में, डिवीजन बेंच का विवादित निर्णय उन परिस्थितियों के पहले प्रतिवादी के बयान को दर्शाता है जिसमें उसके सहयोगी की मृत्यु हुई थी। प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार है:

"*.. जब मैं अपना सामान चेक करने के लिए बाहर जाने वाला था तो मैंने अपनी कार्बाइन की मैगजीन फिट कर ली और जब मैंने मैगज़ीन पर हाथ मारा तो कार्बाइन से फायर होने लगा।

10. पहले प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति का यह हिस्सा स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह पहले प्रतिवादी द्वारा हथियार को संभालने के परिणामस्वरूप था कि गोलियां चलाई गईं और परिणामस्वरूप उसके सहयोगी की मृत्यु हो गई। कोई भी भौतिक तथ्य विवाद में नहीं है।

11. मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की, खासकर जब एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले के दौरान जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई थी। बर्खास्तगी की सजा साबित हुए कदाचार से असंगत नहीं है।

12. दूसरा आधार, जिसे उच्च न्यायालय के साथ तौला गया है, समान रूप से भ्रामक है। एक अनुशासनात्मक जांच एक आपराधिक मामले पर लागू होने वाले सबूत की तुलना में सबूत के एक अलग मानक द्वारा शासित होती है। एक आपराधिक मुकदमे में, उचित संदेह से परे आरोप स्थापित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है। अनुशासनात्मक जांच का उद्देश्य नियोक्ता को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाना है कि क्या किसी कर्मचारी ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने परिपत्र आदेश संख्या 16/85 का हवाला दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीआरपीएफ के सदस्यों पर निम्नलिखित दायित्व लगाए गए हैं:

(ग) सभी स्तरों पर पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा सख्त अग्नि अनुशासन लागू किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बैरक / गैर-परिचालन स्थानों में रहते हुए सैनिकों द्वारा लोडेड और कॉक किए गए हथियार नहीं रखे जाने चाहिए। चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

तथ्य यह है कि आपराधिक मुकदमे के दौरान पहले प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था, यह वास्तव में अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान सामने आए कदाचार के निष्कर्ष को खराब करने के आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है। हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने कैप्टन एम पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड मामले में इस न्यायालय के निर्णय से गलत निष्कर्ष निकाला है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में निर्धारित कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया:

".. जबकि विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता में से एक है, एक आपराधिक मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे आरोप साबित किया जाना चाहिए। थोड़ा अपवाद यह हो सकता है कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला तथ्यों के एक ही सेट पर आधारित हों और दोनों कार्यवाहियों में सबूत बिना किसी भिन्नता के समान हों।

13. यह निस्संदेह सही है कि आपराधिक मुकदमे में आरोप घटना के दौरान एक सह-कर्मचारी की मौत से उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक गोली चलाई गई जो उस हथियार से हुई थी जिसे बल के सदस्य के रूप में पहले प्रतिवादी को सौंपा गया था। लेकिन कदाचार का आरोप अपने हथियार को संभालने में पहले प्रतिवादी की लापरवाही और हथियार को संभालने के तरीके के संबंध में विभागीय निर्देशों का पालन करने में उसकी विफलता के आधार पर है। नतीजतन, आपराधिक मामले में बरी किया जाना अनुशासनात्मक जांच के दौरान लगाए गए जुर्माने को रद्द करने का आधार नहीं था। इसलिए, अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा के अभ्यास को नियंत्रित करने वाले मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय अस्थिर है।

14. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और 14 दिसंबर 2007 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं। नतीजतन, हम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बनाए रखते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

इला देओल, एडवोकेट